श्रीनामदेव छीपा समाज की भारत को देन- सामूहिक विवाह सम्मेलन

हिन्दू धर्म में सोलह संस्कारों (षोडश संस्कार) का उल्लेख किया जाता है जो मानव को उसके गर्भ में जाने से लेकर मृत्यु के बाद तक किए जाते हैं। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं-गर्भाधान संस्कार ,पुंसवन संस्कार , सीमन्तोन्नयन संस्कार , जातकर्म संस्कार ,नामकरण संस्कार,निष्क्रमण संस्कार ,अन्नप्राशन संस्कार , चूड़ाकरण संस्कार,कर्णवेध संस्कार , उपनयन संस्कार , केशान्त संस्कार , समावर्तन संस्कार , विवाह संस्कार ,वानप्रस्थ संस्कार,परिव्राज्य या संन्यास एवं पितृमेध या अन्त्यकर्म संस्कार |
भारत में विवाह संस्कार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता हैं।मनुष्य जन्म से ही तीन ऋणों से बंधकर जन्म लेता है- 'देव ऋण', 'ऋषि ऋण' और 'पितृ ऋण'। इनमें से अग्निहोत्र अर्थात यज्ञादिक कार्यों से देव ऋण, वेदादिक शास्त्रों के अध्ययन से ऋषि ऋण और विवाहित पत्नी से संतानोंत्पत्ति आदि के द्वारा पितृ ऋण से उऋण हुआ जाता है।
विवाह के बाद दो शरीर, दो मन और बुद्धि, दो हृदय, दो प्राण व दो आत्माओं का समन्वय करके अगाध प्रेम के व्रत को पालन करने वाले दंपति उमा-महेश्वर के प्रेमादर्श को धारण करते हैं |

विवाह दो आत्माओं का पवित्र बन्धन है। दो प्राणी अपने अलग-अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषताएँ और कुछ अपूर्णताएँ दे रखी हैं। विवाह सम्मिलन से एक-दूसरे की अपूर्णताओं की अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं, इससे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए विवाह को सामान्यतया मानव जीवन की एक आवश्यकता माना गया है। एक-दूसरे को अपनी योग्यताओं और भावनाओं का लाभ पहुँचाते हुए गाड़ी में लगे हुए दो पहियों की तरह प्रगति-पथ पर अग्रसर होते जाना विवाह का उद्देश्य है।

लेकिन आज भारत के समाज में जो अनेक कुरीतियाँ फैली हुई हैं वे सब भारत के गौरवशाली समाज पर एक कलंक के समान हैं।दहेज जैसी कुप्रथा की वजह से विश्व के उन्नत समाज में रहने पर भी हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। दहेज प्रथा आज के युग में एक बुराई का रूप धारण कर चुकी है। आज के समय में दहेज प्रेम पूर्वक देने की नहीं बल्कि अधिकार पूर्वक लेने की वस्तु बनता जा रहा है। आधुनिक युग में कन्या को उसकी श्रेष्ठता और शील-सौंदर्य से नहीं बल्कि उसकी दहेज की मात्रा से आँका जाता है। इस कुरीति के चलते कई निर्धन ,

मध्यम आय वर्ग परिवार की पढ़ी- लिखी बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण उन्हे अपनी बेटियों की शादी अयोग्य वर से करनी पड़ती हैं |

समाज में आर्थिक विषमता, आर्थिक संसाधनों का अभाव, बिखरते-टूटते संयुक्त परिवार एवं दूर होते सामाजिक रिश्तो ने समानता, मितव्ययता एवं विवाह संस्कार के आदर्श स्थापित करने की दृष्टि से समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन प्रथा का प्रचलन हुआ| **सामूहिक विवाह सम्मेलन से तात्पर्य ऐसे सम्मेलन से है जिसमें पूर्व में निश्चित सगाई सुदा एक से अधिक जोडों का समता,समानता , सरलता एवं मितव्ययता के आधार पर किसी सामाजिक संस्था द्वारा विवाह का आयोजन किया जाता है|**

परिवार के मुखिया के समक्ष अपनी विवाह योग्य बच्चों की शादी करना,उपयुक्त वर -वधू की तलाश करने जैसी समस्या प्रमुख थी| वर्तमान समय में कमजोर आर्थिक स्थिति , खर्चीली शादियां, बढ़-चढ़कर दिखावा करना, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई और अपने अहंकार एवं समाज में बड़ा दिखने की भावना ने अल्प और मध्यम आय वर्ग के परिवार वालों के लिए व्यक्तिगत रूप से घर से विवाह करना मुश्किल सा हो गया था|

प्रारंभ में कुछ दानवीर सामाजिक हित की सोच रखने वाले भामाशाहो के अपने स्तर पर आर्थिक सहयोग के माध्यम से समाज के असहाय व निर्धन परिवार वालों के पुत्र-पुत्रियों का विवाह एक ही स्थान पर सामूहिक तौर पर करने की प्रथा का विवरण मिलता है किंतु सामाजिक तौर पर किसी समाज द्वारा तात्कालिक समय में सामूहिक विवाह आयोजित करने का विवरण कहीं नहीं देखने और सुनने को मिलता |

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में सामाजिक तौर पर सर्वप्रथम श्री नामदेव छीपा समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसा क्रांतिकारी कदम उठाया और **समाज रत्न श्रीमान दौलतराम जी मेड़तवाल** व उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं ने अपने पुत्र-पुत्रियों का विवाह **19 नवंबर 1969** को राजस्थान के कोटा शहर में 7 जोड़ों का विवाह सम्मेलन आयोजित कर देश के समक्ष आदर्श मिशाल प्रस्तुत की|इसकी जानकारी सारणी -1 में दी गयी है |

सारणी -1

देवप्रबोधिनी एकादशी संवत 202 6 तदनुसार दिनांक 19 नवंबर 1969 को कोटा में आयोजित प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन में परिणयसूत्र में बंधे प्रथम 7 प्रेरणा स्रोत जोड़े

क्रमसंख्या	वर पक्ष	कन्या पक्ष
1.	श्री हरि चरण सरथलिया पुत्र श्री गोपी लाल सरथलिया निवासी- सीसवाली (बाराँ)	श्रीमती सुमन लता मेडतवाल पुत्री श्री दौलत राम मेडतवाल निवासी-सांगोद, कोटा
2.	श्री गोविंद लाल चित्तौड़ा पुत्र श्रीशंकर लाल चित्तौड़ा निवासी छीपाबड़ौद, बाराँ	श्रीमती प्रेम बाई पटवा पुत्री श्री मांगीलाल पटवा निवासी- झालरापाटन, झालावाड
3.	श्री गिरीश कांत आसरमा पुत्र श्री रमेश चंद्र आसरमा निवासी- कोटा ,राजस्थान	श्रीमती विष्णु देवी सांखला पुत्री श्री मोती लाल सांखला निवासी बड़ौदा, श्योपुर, मध्य प्रदेश
4.	श्री लालचंद धूमस पुत्र श्री नाथू लाल धूमस निवासी- कोटा, राजस्थान	श्रीमती शांति बाई अमेरिया पुत्री श्री रामनाथ अमेरिया निवासी -सीसवाली,बाराँ
5.	श्री ओम प्रकाश सांखला पुत्र श्री मोतीलाल निवासी बड़ौदा, श्योपुर, मध्य प्रदेश	श्रीमती देवकी बाई सोपरा पुत्री श्री मांगीलाल सोपरा निवासी-केलवाड़ा,बाराँ
6.	श्री रामपाल नामा पुत्र श्री मूलचंद नामा निवासी- भवानी मंडी, झालावाड	श्रीमती पुष्पा बाई पुत्रीश्री राम चंद्र पवार, गरोठ, भानपुरा,मध्य प्रदेश

7.	श्री बद्रीलाल नामा पुत्र श्री राम नारायण देशमा निवासी- ग्राम-करवाड , पीपल्दा, कोटा	श्रीमती उर्मिला बाई पुत्री श्री चतुर्भुज नामा निवासी- पीपल्दा ,कोटा

यह प्रथा समाज को संगठित कर एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य के साथ साथ मित्रता, समानता, समरसता व सामूहिकता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा |तात्कालिक समय में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां करना अच्छा नहीं माना जाता था| उन्हें हीन भावना से देखा जाता था किन्तु वर्तमान समय में समूहिक विवाह, समाज की महत्ती आवश्यकता बन गई|इससे बचाया गया धन अपने बच्चों की उच्च शिक्षा पर समाज खर्च करने लगा |सामूहिक विवाह से समाज की आर्थिक सुदृढ़ता व संपन्नता भी बढ़ी | प्रति वर्ष भारत के समाज बाहुल्य प्रान्तों में यथा राजस्थान,मध्य प्रदेश ,गुजरात ,उत्तर प्रदेश के कई शहरों व नगरों में बड़े ही उत्साह के साथ समाज में सामूहिक विवाह का आयोजन होता है |अब नौजवान युवक युवतियां इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने को तैयार होने लगे हैं |

सामूहिक विवाह के आयोजन से केवल स्वयं का धन ही नहीं बचता, देश की संपदा, के साथ व्यर्थ श्रम ओर बहुत सारी परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता हे। यह सब श्रम पूरा समाज मिलकर कर लेता हे।दूरगामी परिणाम देखे तो सामूहिक विवाह की पहल से हम कन्या भ्रूर्ण हत्या पर भी एक हद तक सोच बदलने में कामयाब होंगे और दहेज़ रूपी दानव का भी निवारण कर रहे हैं। कन्या भ्रूर्ण हत्या में एक अहम् किरदार माँ बाप के मन उसकी शादी के खर्चे का भी होता हैं जिसका हम इस पहल से निदान कर रहे हैं।

इस प्रथा की अच्छाइयों की सुगंध समाज की सीमा तक ही नहीं रही परंतु पूरे भारत में दूर-दूर तक फैलती गई और पूरे भारतवर्ष में अन्य छोटे- बड़े,आर्थिक दृष्टि से निम्न - उच्च

आय वाले समाज द्वारा (राजपूत, महेश्वरी,जैन , ब्राह्मण,मुस्लिम ,सुनार ,जाट,सिंधी आदि)भी बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन करने लगे हैं | वर्तमान में इस प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार सामूहिक विवाह आयोजकों को प्रति जोड़े आर्थिक सहयोग भी दे रही है | वर्तमान युग में यह केवल समाज विशेष तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि सर्वसमाज द्वारा भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वसमाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है | वर्तमान युग में समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन की आर्थिक, सामाजिक तथा संगठनात्मक दृष्टि से बहुत आवश्यकता है | सामूहिक विवाह सम्मेलन में उच्च आय वर्ग , उच्च शिक्षा प्राप्त एवं पेशेवर युवक-युवतियों की सहभागिता को बढ़ाने की आवश्यकता है | सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजक चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ,गांधीनगर एवं अटल बिहारी वाजपेई हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल की तर्ज पर गर्भ संस्कार तपोवन केंद्र भी प्रारंभ करते हैं तो समाज को संस्कारवान बालक- बालिकाएं प्राप्त हो सकते हैं|

अतः सामूहिक विवाह सम्मेलन की प्रथा ,नामदेव छीपा समाज की भारत को बहुत बड़ी देन है |